न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी : श्री मुन्नीराम बागड़िया, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 01/2024 GCMS- 2024/2

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थीगण**

श्री आशाराम पुत्र श्री कालूराम उम्र 70 वर्ष जाति माली निवासी अमरसागर जैसलमेर।

1. हरिसिंह देवडा पुत्र मूलसिंह देवडा मैनपुरा तहसील व जिला जैसलमेर के कायम मुकाम :–
1–आशी देवी पत्नी स्व0 हरिसिंह देवडा निवासी मैनपुरा तहसील व जिला जैसलमेर।
2– सत्यनारायण देवडा पुत्र स्व0 हरिसिह देवडा निवासी मैनपुरा तहसील व जिला जैसलमेर।
3– जवानसिंह पुत्र पत्नी स्व0 हरिसिंह देवडा निवासी मैनपुरा तहसील व जिला जैसलमेर।
4– सजन कंवर उर्फ गौ पुत्री स्व0 हरिसिंह देवडा पत्नी दुर्गसिंह पुत्र नारायण सिंह हजूरी निवासी तालरिया पाडा तहसील व जिला जैसलमेर।
5–वीणु पुत्री स्व0 हरिसिंह देवडा पत्नी दलपतसिंह हजूरी निवासी किले उपर तहसील व जिला जैसलमेर।
6– रेखा पुत्री स्व0 हरिसिंह देवडा पत्नी पवनसिंह हजूरी निवासी गीता आश्रम के पास तहसील व जिला जैसलमेर।
7– अनिता उर्फ गुटली पुत्री स्व0 हरिसिंह देवडा पत्नी उम्मेदसिंह भंवरसिंह हजूरी निवासी तालरिया पाडा तहसील व जिला जैसलमेर।

2. मैसर्स भैरूजी मार्बल इंडस्टीज मार्फत प्रोपराइटर राजेन्द्र मोहता पुत्र अमृतलाल जी गोयदानी पाडा जैसलमेर।

3. दीनदयाल पुत्र श्री शिवनारायण कोठारी निवासी कोठारी पाडा जैसलमेर हाल निवासी ए एल ब्लॉक 138 ग्राउण्ड फलोर 8 वीं मैन रोड अन्ना नगर चेन्नई तमिलनाडु।

4. प्रकाशचंद्र पुत्र कानाराम माली निवासी अमरसागर जिला जैसलमेर।

5. ग्राम पंचायत अमरसागर जरिये सरपंच अमरसागर जिला जैसलमेर।

6. ग्राम पंचायत अमरसागर जरिये ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अमरसागर जिला जैसलमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री परवेज खान, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री मुकुन्दसिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

3. ग्राम विकास अधिकारी अप्रार्थी संख्या 5 व 6 की ओर से।

अनुपस्थित :–

1. अप्रार्थी संख्या 01 से 03 नोटिस तामीली के बाद भी अनुपस्थित।

:: **निर्णय** :: दिनांक :– 29.08.2024

प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नोटिस अप्रार्थीगण को जारी किये गये। निगरानी प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के कथनानुसार अप्रार्थी संख्या 01 को ग्राम पंचायत अमरसागर द्वारा जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के विरूद्ध फर्जी व गलत जारी किया गया है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी 01 ने ग्राम पंचायत अमरसागर से दिनांक 10.01.1966 को को आबादी भूमि का बेनामा/पट्टा 80 गुणा 100 वर्गफीट का अपने पक्ष में जारी होना बताते हुए उक्त पट्टा से भूखंड संख्या 8 प्राप्त करना बताया जिस की हदूद निम्न दर्शित की –बतरफ उत्तर सुजानसिंह देवडा का प्लॉट, बतरफ दक्षिण जैसलमेर अमरसागर रोड, बतरफ पूर्व आम रास्ता, बतरफ पश्चिम आम रास्ता की जगह का पट्टा और उक्त कथित भूखंड संख्या 8 में से बतरफ पूर्वी भाग 40 गुणा 100 फीट की जगह मैसर्स भैरूजी मार्बल इंडस्ट्रीज अमरसागर को कीमत राशि लेकर वर्ष 1995 में विक्रय की और उसके बाद मैसर्स भैरूजी मार्बल इंडस्ट्रीज अमरसागर के प्रोपेराइटर राजेन्द्र मोहता द्वारा उक्त 40 गुणा 100 फीट की जगह जरिये बेचान पंजीबद्ध पत्र के प्रकाशचंद्र पुत्र कानाराम माली निवासी अमरसागर को दिनांक 26.07.2024 को विक्रय कर दस्तावेज पंजीबद्ध करवाया। उक्त कथित पट्टा प्रारंभत नल एंड वोइड तथा क्षेत्राधिकार से परे होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी का कथन कि कथित पट्टा ग्राम पंचायत अमरसागर द्वारा 100 गुणा 80 फीट का आबादी भूमि में होना बताते हुए जारी किया जो कथित पट्टा बयनामा के वक्त जगह वास्तव में आबादी भूमि में नहीं थी और गैर मुमकीन मगरा राजस्व भूमि थी जो तत्कालीन समय में राजस्व खसरा संख्या 162 में रही है और उक्त खसरा संख्या 162 राजस्व भूमि जिसका बयनामा जरिये नीलामी/आवंटन अधिकार क्षेत्र ग्राम पंचायत अमरसागर को नहीं था। पंचायत को खसरा संख्या 162 आबादी हेतु हेतु हस्तांतरण वर्ष 1984 में नामांतरण दर्ज हुआ फिर भी उक्त तथ्यों को छिपाकर मिथ्या साक्ष्य गढकर बमिलावट अप्रार्थी 01 को पट्टा जारी कराया गया जो पचायत नियमों के विरूद्ध एवं प्रारंभत नल एंड वोईड होने से निरस्ती योग्य है। प्रार्थी का अनुरोध है कि प्रश्नगत पट्टा खारिज किया जाए। प्रार्थी का आगे कथन है कि प्रार्थी निगराकर मूल रूप से अमरसागर का निवासी है और उसकी पुश्तैनी चल अचल संपति वाके ग्राम अमरसागर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

जैसलमेर में आई हुई है और प्रार्थी ग्राम अमरसागर का करदाता भी है। प्रार्थी का ग्राम अमरसागर में पुश्तैनी बाडा मय चारदीवारी दरवाजा छपरा सहित करीब 35 गुणा 100 फीट की हुई जिसकी हदूद निम्न है उत्तर में खाली प्लॉट, दक्षिण में मुख्य दरवाजा आगे डामर सड़क, पूर्व में खाली प्लॉट, पश्चिम में भोजराज पुत्र खेताराम माली का पट्टासुद जगह आई है जिस पर निगराकार का वास्तविक भौतिक कब्जा उपयोग उपभोग पुश्तैनी चला आ रहा है। अप्रार्थी प्रकाश्चंद्र कथित पट्टे के आधार पर करवाये बेचान को आधार बनाते हुए प्रार्थी के कब्जा उपयोग उपभोग में रूकावट बाधा करने को उतारू है। इस प्रकार उक्त जगह को अप्रार्थीगण अपनी खरीदसुदा जगह कथित आबादी भूमि बयनामा 06.03.1966 के आधार पर होना बताते है। उक्त पट्टा आबादी भूमि बयनामा पंचायत में पंचायत अधिनियमों के तहत नीलामी की कार्यवाई संधारित हुए व पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 271 व तत्समय के पंचायत नियमों कें तहत कोई कार्यवाही हुये बिना व पंचायत नियमों का उल्लघंन कर नीलामी राशि पंचायत कोष में जमा हुए बिना व नीलामी की सर्वोच्च बोली की पुष्टिकरण हुए बिना तथा कथित बयनामा में दर्शित राशि होने के रसीद संख्या अंकित न होना तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर न होना व खरीदकार के हस्ताक्षर नक्शा नवीस सचिव के हस्ताक्षर न होकर विधिक प्रक्रिया पंचायत नियमों उपनियमों की पालना किए बिना बमिलावट कूटरचना व झूठे तथ्य दर्शाकर गैर आबादी भूमि जो पंचायत को आबादी हेतु अंतरित नामांतरित ही नहीं थी के तथ्यों को छिपाकर दुरभिसंधि कर क्षैत्राधिकार से परे उक्त विक्रय पत्र जारी किया जिसके संबंध में प्रमाणित नकले उप पंजीयक कार्यालय से प्राप्त होने पर अभी जानकारी हुई और जानकारी से तत्काल 30 दिवस में यह निगरानी पेश की जा रही है फिर भी म्याद बिन्दु पर विवाद न रहे, इसलिए धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र भी अलग से पेश है। तत्कालीन सरपंच द्वारा पंचायत अधिनियमों के तहत कोई पालना नहीं की और न ही कथित बयनामा की पत्रावली संधारित्र की उक्त तथ्यों को छिपाकर मिथ्या साक्ष्य गढकर बमिलावट अप्रार्थी 01 को पट्टा जारी कराया गया जो पचायत नियमों के विरूद्ध एवं प्रारंभत नल एंड वोईड होने से निरस्ती योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाब में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिन्दु, तथ्यों के विपरीत एवं आधारहीन है और यह कि प्रश्नगत पट्टा विधि सम्मत एवं पोषणीय है। अप्राथी संख्या 04ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध याचिका पेश की गई है जो पूर्णतः बेबुनियादी व मनगढ़त तथ्य दर्ज करते हुए पेश की गई। यह सही है कि हरिसिंह द्वारा ग्राम पंचायत अमरसागर द्वारा राजस्थान पंचायत व न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के नियम 271 के अनुसार आबादी भूमि बयनामा ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

पंचायत अमरसाकर द्वारा राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 87 के अधिन पंचायत कोपरेट प्रथम पक्ष हरीसिंह देवड़ा वल्द मूलसिंह को दिनांक 06.03.1966 को पट्टा जारी किया गया। तत्कालीन नियमों के अनुसार सही था। उक्त पट्टे की निलामी बोली क्रेता हरीसिंह द्वारा 59 रूपये सर्वोच्च बोली लगाकर खरीद लिया तथा पंचायत द्वारा उक्त पट्टे के पीछे नक्शा संलग्न कर संकल्प संख्या 01 पट्टा क्रमांक 12 भूखण्ड संख्या 8 साईज 80 गुणा का जारी किया जिस पर तत्कालीन सरपंच व उप सरपंच के हस्ताक्षर है तथा उक्त पट्टे के हदूद निम्न प्रकार है। उत्तर में सुजानसिंह का प्लॉट, दक्षिण में जैसलमेर–अमरसागर रोड, पूर्व में आम रास्ता व पश्चिम में आम रास्ता उक्त भूखण्ड संख्या 8 में से पूर्वी भाग 40गुणा 100 फीट मैसर्स भैरू जी मार्बल अमरसागर के प्रोपराईटर राजेन्द्र मोहता द्वारा वर्ष 1995 द्वारा उक्त भूखण्ड हरिसिंह देवड़ा से खरीद किया तत्पश्चात राजेन्द्र मोहता द्वारा वर्ष 2005 द्वारा उक्त भूखण्ड को दीनदयाल कोठारी को दिनांक 10.08.2005 बैचान किया दीनदयाल कोठारी द्वारा भूखण्ड संख्या 8 साईज 40 गुणा 100 पूर्व भाग ग्राम अमरसागर जरिये बैचान प्रकाशचंन्द्र पुत्र कानाराम को दिनांक 26.07.2023 को पंजीबद्ध बैचान किया तब से आज दिन तक उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी मौके पर काबिज है व स्वयं की खरीद सुदा जायदाद का उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। उक्त पट्टा विधि अनुसार सही होने से खारिज योग्य है। तत्कालीन समय सन 1966 में 59 रूपये बहुत बड़ी राशि होती थी जो पंचायत द्वारा प्राप्त की गई व पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा मात्र तंग परेशान करने की गरज से व धन ऐठने की गरज से तंग परेशान किया जा रहा है। यहां लिखना सुसंगत है कि अप्रार्थी को जारी किया गया पट्टा तत्कालीन समय में ग्राम पंचायत के अधीन आने वाली भूमि पर किया गया थां उक्त भूमि का म्युटेशन भरना एक फिसकल प्रोसेडिंग है। सामान्य प्रक्रिया है। खसरा नंबर 162 ग्राम पंचायत तत्कालीन समय में उसके अधीन आती थी। पंचायत द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अप्रार्थी के अलावा 10–15 अन्य लोगों को भूखण्ड निलाम किया जो सभी मौके पर काबिज है। प्रार्थी एक बदमाश प्रवृति का व्यक्ति है जिसका एक ही उद्देश्य है किसी कि आवंटित सुदा, खरीद सुदा भूमि पर नाजायद तरीके से कब्जा करना व पैसा ऐठना। जहां तक पट्टे का प्रश्न है तत्कालीन नियमों के अनुसार अप्रार्थी हरीसिंह द्वारा पूर्ण कार्यवाही कर पट्टा प्राप्त किया है। उक्त पट्टे पर कुल तीन बैचान नामें पंजीबद्ध है। जहां तक म्याद का प्रश्न है उक्त निगरानी 68 वर्ष बाद पेश की है जो चलाने योग्य है। न ही उक्त रिविजन मेनटेबल है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 के अनुसार जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 124 में पुराने जारी पट्टो का चैलेंज करने के लिए बाउंड किया गया है। इस संबंध में होई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

कोर्ट का निर्णय संलग्न है। अपने जबाब के समर्थन में अप्रार्थी संख्या 01 को ग्राम पंचायत अमर सागर द्वारा जारी किया गया पट्टा, प्रश्नगत पट्टे के पंजीयन तथा कार्यवाही की प्रमाणित छाया प्रतियां प्रस्तुत की।

अप्रार्थी संख्या 06 की ओर से ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया गया है कि कार्यालय में उपलब्ध समस्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया जिसमें उक्त पट्टे से संबंधित रेकर्ड उपलब्ध होना नहीं पाया गया है।

अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 को नोटिस तामील होने के उपरांत भी अनुपस्थित।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी अपने निगरानी प्रार्थना पत्र को ही बहस बताते हुए निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम पंचायत अमरसागर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम से जारी आवासीय पट्टा विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है। उनका आगे तर्क रहा है कि प्रश्नगत पट्टा जारी करने में निर्धारित विधिक प्रक्रिया का पालन नही हुआ है एवं प्रश्नगत पट्टा मिलावट से फर्जी जारी हुआ हैं जिसे निरस्त किया जाना वांछनीय है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 04 ने लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी अधिवक्ता 04 के लिखित बहस का तर्क रहा कि प्रश्नगत पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1953 के अंतर्गत प्रावधित प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्राम पंचायत अमरसागर द्वारा जारी किया गया है जिसका अभिलेख विधिवत संधारित है। उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पंजीकृत प्रश्नगत पट्टे की प्रतियां प्रस्तुत की। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत अमरसागर द्वारा वर्ष 1966 में हरीसिंह देवड़ा को जारी किया गया था जो निगरानी 68 वर्ष बाद पेश की गई उक्त निगरानी म्याद निगरानी म्याद बाहर होने से खारीज योग्य है। अप्रार्थी 01 हरीसिंह द्वारा तहसीलदार, जैसलमेर के समक्ष एक अनापत्ति प्रमाण पत्र कार्यालय तहसीलदार जैसलमेर द्वारा क्रमांक राजस्व/881/954 दिनांक 04.10.1988 को पटवारी रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जिसमें स्पष्ट अंकित किया कि उक्त भूमि आबादी भूमि है व उक्त भूखण्ड हस्तांतरण करने में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। हरिसिंह देवड़ा द्वारा भूखण्ड संख्या 8 का पूर्वी भाग 40 गुणा 100 कुल 4000 वर्गफीट मैसर्स भैरूजी मार्बल को 40000/– रूपये में दिनांक 27.12.1995 को बैचान किया तथा भौतिक व वास्तविक कब्जा सुपुर्द किया तत्पश्चात भैरूजी मार्बल द्वारा उक्त भूखण्ड 80000/– रूपये में दीनदयाल पुत्र श्री शिवनारायण को पंजीबद्ध विक्रय नामा के जरिये दिनांक 08.08.2005 को बैचान किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

व वास्तविक व भौतिक कब्जा सुपुर्द किया। दीनदयाल द्वारा अप्रार्थी संख्या 04 को उक्त जायदाद का बैचान दिनांक 26.07.2023 को किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा मौके पर कब्जा प्राप्त कर उक्त जायदाद का उपयोग–उपभोग निर्बाद रूप से करता आ रहा है। रेकर्ड संधारण का कार्य पंचायत नहीं करती है तो उसका खामियाजा पक्षकार नहीं उठाते है। वक्त एक्ट उक्त दस्तावेंज उपलब्ध नहीं होना व रेकर्ड संधारित्र नहीं होना पंचायत के जिम्मे है। पंचायत के द्वारा रेकर्ड पेश नहीं करने से मुझ अप्रार्थी का टाईटल समाप्त नहीं होगा व मूल दस्तावेज पट्टा मेरे पास मौजूद है। न्यायालय के आदेश पर उक्त पट्टा मै पेश कर सकता हूं। पक्षकार ने उक्त जायदाद को सदभावना पूर्वक खरीद किया थ व सदभावी क्रेता है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या रिकार्ड नहीं पेश किया गया जिसमें ग्राम पंचायत के सभी खसरों का अंकन है। प्रार्थी को कोई इसमें हित नही है। प्रार्थी द्वारा केवल न्यायालय को गुमराह करने के लिए रिविजन पेश की है जो गलत आधारों पर खारिज योग्य है। उक्त पट्टा विधिवत जारी होना पाया गया है एवं पिछले 60 वर्षो से उनका ही कब्जा होना प्रकट होता है। प्रार्थी ने रंजिश रखते हुए निगरानी प्रस्तुत की है जो संधारणीय नहीं है उनका तर्क रहा कि प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाए।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अध्ययन किया गया । ग्राम पंचायत अमरसागर से प्राप्त जवाब के अनुसार उनके कार्यालय में उक्त कथित पट्टे के संबंध में कोई पत्रावली संधारित्र नहीं है। पट्टे पर साक्षियों, नक्शा नवीश व तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर नही है। और न ही प्रश्नगत पट्टे के संबंध में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियमानुसार मौका निरीक्षण, प्रस्ताव एवं निलामी की कार्यवाही से संबंधित आवश्यक दस्तावेंज उपलब्ध है जिसका अप्रार्थी द्वारा खण्डन नहीं किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी. एसपीएल. अपील रीट नं. 918/2017 इशाक खान S/o नूरे खां बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में दिये गये निर्णय अनुसार दस्तावेज का पंजीकरण कराने से किसी अवैध जारी दस्तावेज को वैध नही माना जाएगा। साथ ही धोखाधड़ी करके किसी कानूनी अधिकार के बिना प्राप्त स्थानीय प्राधिकारी या सरकार की भूमि का आवंटन शून्य है और ऐसे आवंटन को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रास्ते में कोई सीमा नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने इसाक खान बनाम राजस्थान राज्य डीबी स्पेशल रिट नंबर 918/2017 में भी निर्धारित किया कि झूठे कुटरचित तथ्यों के आधार पर मिलावटी कार्यवाई से अगर कोई जमीन आवंटन, नियमन/बेचान से प्राप्त की जाती है तो उसमें कोई म्याद अवधि निर्धारित नहीं होती है। ग्राम विकास अधिकारी अमरसागर द्वारा प्रस्तुत जवाब

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जैसलमेर

का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी सं. 1 को ग्राम पंचायत अमरसागर द्वारा दिनांक 10.01.1966 को जारी पट्टा पर तत्कालीन नक्शा नवीस व सचिव के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। यह एक गंभीर अनियमितता है क्योंकि पट्टे पर नक्शा नवीस व सचिव के हस्ताक्षर होना आज्ञापक है। राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के अनुसार पट्टे पर आवेदक एवं साक्षियों के हस्ताक्षर होना आज्ञापक है। यह गंभीर अनियमितता है। इसके अलावा यह पट्टा राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियम (आबादी भूमि की नीलामी) तहत कोई भी व्यक्ति जो पंचायत से कोई आबादी भूमि खरीदना चाहता है, पंचायत को लिखित में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा लेकिन ग्राम पंचायत अमरसागर द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों में आवेदन से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं की गई है जो की गंभीर अनियमितता है। मूल दस्तावेंज में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियमानुसार आवश्यक शुल्क की रसीद संख्या भी अंकित नहीं की गई है एवं न ही रसीद संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गयें। जो कि एक अन्य गंभीर अनियमितता है। प्रश्नगत पट्टे के संबंध में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 के नियमानुसार मौका निरीक्षण, प्रस्ताव एवं निलामी की कार्यवाही से संबंधित आवश्यक दस्तावेंज ग्राम पंचायत अमरसागर में उपलब्ध नही होना गंभीर अनियमितता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रश्नगत पट्टा खारिज किए जाने योग्य होने से एतद्द्वारा खारिज किया जाता है। पक्षकार अपना–अपना व्यय वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
जैसलमेर